

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13()ब.घो.17-18/प्रो.यो./सान्याअवि/17/ 63655 जयपुर, दिनांक : 24-10-19

प्रेस विज्ञापित

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिये एक मुश्त प्रोत्साहन
सहायता राशि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

वर्ष 2019-20 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित All India Services (IAS, IPS, IFS) में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्तिम रूप चयन होने तथा योजना में सूचीबद्ध IIT, IIM, AIIMS, NLU एवं IISc में प्रवेश पाने वाले मेधावी अभ्यर्थियों को एक मुश्त सहायता राशि दिए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

1	प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	25 अक्टूबर 2019
2	प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने की लिये अंतिम तिथि	31 दिसम्बर 2019

योजना की पात्रता/दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(सांवर मल वर्मा) 4
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय पता :- अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर,
दूरभाष नम्बर - 0141-2226697 विभागीय वेबसाइट - www.sje.rajasthan.gov.in
ई-मेल- sjeraj_edu@yahoo.com